न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र रेफरेन्स सं. 02/2013
दायर दिनांकः 06.06.2013
निर्णय दिनांक 19.05.2025

—: अनवान :–

राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार, नाथद्वारा — **प्रार्थी**

बनाम

1. श्री विकास राठौड़ जैन पिता मनोहर लाल राठौड़ निवासी आनन्दनगर कोठारीया रोड़ सावित्री फुले स्कूल के पास, लालबाग, नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. श्री रामचन्द्र पिता गोवर्धन लाल माहेश्वरी निवासी सेठों का पायसा, नाथद्वारा जिला राजसमन्द — **अप्रार्थीगण**

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थितः

1– श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता।
2– श्री श्यामसुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी।

:: निर्णय ::

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार नाथद्वारा ने रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुंचोली तहसील नाथद्वारा में स्थित खसरा नम्बर 1362 रकबा 3–01 बीघा किस्म बारानी द्वितीय भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है। भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक संवत 2024 अनुसार उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 620 मीन किस्म नदी दर्ज थी। मेवाड सेटलमेंट की खसरा महकमा बन्दोबस्त संवत् 1991 में मूल खसरा नम्बर 620 रकबा 77–15 बीघा किस्म नदी दर्ज थी। उक्त खसरा नम्बर 1362 रकबा 3–01 बीघा किस्म बारानी द्वितीय भूमि की किस्म नदी होकर गैर मुमकिन भूमियों की श्रेणी में आती है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण संख्या D.B.Civil Writ Petition No. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय अनुसार उक्त वर्णित भूमि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के अंतर्गत गैर मुमकिन होने से पुनः बिलानाम नदी दर्ज होने योग्य है। ग्राम कुंचोली तहसील नाथद्वारा में स्थित खसरा नम्बर 1362 रकबा 3–01 बीघा किस्म बारानी द्वितीय भूमि अप्रार्थीगण के नाम अवैध रूप से दर्ज कर दी गई है। जिसे पुनः बिलानाम नदी दर्ज करने का आदेश फरमावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु तलब किया गया। जिस पर विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसुन्दर पालीवाल उपस्थित हुए। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस हेतु निवेदन। अतः अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि कि ग्राम कुंचोली तहसील नाथद्वारा में स्थित खसरा नम्बर 1362 रकबा 3—01 बीघा किस्म बारानी द्वितीय भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है। भू—प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक संवत 2024 अनुसार उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 620 मीन किस्म नदी दर्ज थी। मेवाड सेटलमेंट की खसरा महकमा बन्दोबस्त संवत् 1991 में मूल खसरा नम्बर 620 रकबा 77—15 बीघा किस्म नदी दर्ज थी। उक्त खसरा नम्बर 1362 रकबा 3—01 बीघा किस्म बारानी द्वितीय भूमि की किस्म नदी होकर गैर मुमकिन भूमियों की श्रेणी में आती है। मूलतः उक्त भूमि की किस्म नदी अंकित थी एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत उक्त भूमि आवंटन/नियमन में प्रतिबन्धित होने से इसमें खातेदारी अधिकार देय नहीं है। उक्त भूमि का कानूनन आवंटन/ नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम से निरस्त कर पुनः बिलानाम सरकार किस्म नदी अंकित की जानी है। D.B.Civil Writ Petition No. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 02.08.2004 के अनुसार भी ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने के निर्देश हैं। अतः ग्राम कुंचोली तहसील नाथद्वारा में स्थित खसरा नम्बर 1362 रकबा 3—01 बीघा किस्म बारानी द्वितीय भूमि अप्रार्थीगण के नाम से निरस्त कर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त नदी दर्ज करवायी जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को मामला प्रेषित करने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम कुंचोली तहसील नाथद्वारा में स्थित खसरा नम्बर 1362 रकबा 3—01 बीघा किस्म बारानी द्वितीय भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में बहाव क्षेत्र में नहीं आ रही है एवं वादग्रस्त भूमि की किस्म रिकॉर्ड में नदी अंकित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 82 की कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया परन्तु उक्त रेफरेंस कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 की पालना में राजस्व स्वामित्व के नदी, नालों, तालाबों, झीलों आदि की दिनांक 15.08.1947 की स्थिति को बहाल किये जाने को लेकर है। ग्राम कुंचोली तहसील नाथद्वारा में स्थित खसरा नम्बर 1362 रकबा 3—01 बीघा किस्म बारानी द्वितीय भूमि अप्रार्थीगण के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है। भू—प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक संवत 2024 अनुसार उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 620 मीन किस्म नदी दर्ज थी। मेवाड सेटलमेंट की खसरा महकमा बन्दोबस्त संवत् 1991 में मूल खसरा नम्बर 620 रकबा 77—15 बीघा किस्म नदी दर्ज थी। रेकार्ड से यह प्रमाणित है कि अप्रार्थीगण के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि

न्यायालय जिला कलक्टर ... (राज.)

मूलतः किस्म नदी भूमि है, जिस पर गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अप्रार्थीगण कानूनन् अधिकारिता नहीं रखते है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 02.08.04 के बिन्दू संख्या 04 में राजस्व स्वामित्व की झील व अन्य जलाशयों नदी,नाला,नाली आदि के खातेदारी भूमि के अर्जन के संबन्ध में निर्देश दिए है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी गैर मुमकिन श्रेणी दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। ऐसी प्रतिबन्धित भूमियों पर दर्ज निजी खातेदारी कानूनन् निरस्त किये जाने योग्य है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल अजमेर को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित करने हेतु स्वीकार किया जाता है। ग्राम कुंचोली तहसील नाथद्वारा में स्थित खसरा नम्बर 1362 रकबा 3–01 बीघा किस्म बारानी द्वितीय भूमि अप्रार्थीगण के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि को अप्रार्थीगण के नाम से हटाकर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म नदी राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने की दुरुस्ती के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस हेतु भेजे जाने के लिए एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 19.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/5/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)